प्रश्न सं. [क्र. 444]

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 20/02/2026

तारांकित प्रश्न क्रमांक-444 — माननीय विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय

विद्युत वितरण कंपनियों एवं म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अंतर्गत विद्युत लाईनों के टूटने के कारण घटित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंध/प्रयासों का विवरण

(1) **विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित जानकारी -**

- **नियमित संधारण** :- लाईनों का प्री-मानसून एवं पोस्ट मानसून रख-रखाव कार्य।
- **गार्डिंग कार्य** :- सड़क पार एवं आबादी क्षेत्रों में लाईनों के नीचे सुरक्षा गार्डिंग लगाना।
- **केबलिंग** :- सघन आबादी वाले क्षेत्रों में खुले तारों के स्थान पर ए.बी. केबल या कवर्ड तार लगाये जाते है।
- **सुरक्षा जागरूकता** :- विद्युत सुरक्षा हेतु आम जनता एवं कृषकों के मध्य जागरूकता शिविरों का आयोजन कर विद्युत लाईनों के नीचे मकान बनाया या अन्य निर्माण या कृषि कार्य इत्यादि न करने बाबत अवगत कराया जाता है।
- लाईन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं साथ ही समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(2) **म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से संबंधित जानकारी -**

- कंपनी अंतर्गत संधारित की जाने वाली अति उच्चदाब पारेषण लाईनों के संधारण कार्यों हेतु नियमित रूप से टॉप पेट्रोलिंग (वर्ष में दो बार) एवं रूटीन ग्राउण्ड पेट्रोलिंग (प्रत्येक माह) कराई जाती है। उपरोक्तानुसार पेट्रोलिंग के दौरान संज्ञान में आए डिफेक्टस का त्वरित सुधार एवं संधारण कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

N